झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

संकल्प

विषय :– राज्य सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों में इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों पर राज्य के संस्थानों में संचालित AICTE से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा को इंटरमीडिएट (10+2) के समतुल्य किये जाने संबंधी निर्णय।

....

राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न विभागों में इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों के विरुद्ध की जा रही नियुक्तियों में राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, राँची द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा को इंटरमीडिएट (10+2) के समतुल्य मानने संबंधित निर्णय विभागीय संकल्प (ज्ञापांक–त0शि0प्र0नि0स0–14/2017–403, दिनांक 12.05.2017) द्वारा निर्गत किया गया।

2) राज्य में कई ऐसे AICTE से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थान हैं जो विभिन्न विभागान्तर्गत संचालित हैं एवं राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, राँची से संबद्धता प्राप्त नहीं है। इन संस्थानों के छात्र–छात्राओं द्वारा भी उक्त नियोजन हेतु उनके डिप्लोमा को भी इंटरमीडिएट (10+2) के समतुल्य किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।

3) इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों में इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों पर राज्य में अवस्थित संस्थानों में संचालित AICTE से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा को इंटरमीडिएट (10+2) के समतुल्य माना जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: त0शि0प्र0नि0स0–14/2017 – /रांची, दिनांकः–

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, राँची को प्रेषित की जाय।

ह0/–
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: त०शि०प्र०नि०स०—14/2017 — /रांची, दिनांक:—

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, रॉची के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: त०शि०प्र०नि०स०—14/2017 — 471 /रांची, दिनांक:— 5/6/17

प्रतिलिपि : सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक (तकनीकी शिक्षा), उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, रॉची/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रॉची/परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, रॉची/निदेशक, बी०आई०टी० सिन्दरी/विभाग के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, रॉची/प्राचार्य/निदेशक, विभागान्तर्गत AICTE संबद्धता प्राप्त सभी निजी अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक/पी०पी०पी० मोड पर संचालित संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/17
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव